रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092022-238899
CG-DL-E-16092022-238899

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 457] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 2022/भाद्र 25, 1944
No. 457] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2022/BHADRA 25, 1944

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2022

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022

सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.095.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) के विनियम 3 में, उप-विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5) उप-विनियम (1)(क) के अधीन या धारा 59(3)(क) के अधीन घोषणा में यह उपबंध होगा कि कारपोरेट व्यक्ति ने उसके विघटन के पश्चात् उसके अभिलेखों को परिरक्षित रखने के लिए व्यवस्था की है ।"

3. मूल विनियमों में, विनियम 41 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**41. अभिलेखों का परिरक्षण**

(1) परिसमापक ऐसे समस्त अभिलेखों की प्रतियों को, जो स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया का संपूर्ण वर्णन देने के लिए आवश्यक है, परिरक्षित रखेगा ।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन बाध्यताओं की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिसमापक निम्नलिखित से संबंधित या उनका आधार गठित करने वाले अभिलेखों की प्रतियां परिरक्षित रखेगा -

(क) परिसमापक के रूप में उसकी नियुक्ति, जिसके अंतर्गत नियुक्ति के निबंधन भी हैं;

(ख) असाइनमेंट सौंपने/ग्रहण करने;

(ग) स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया प्रारंभ करने;

(घ) लोक उद्घोषणा;

(ङ) दावों, दावों के सत्यापन और हितधारकों की सूची;

(च) व्यावसायिकों, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों, आदि के नियोजन, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा किए गए कार्य, प्रस्तुत की गई रिपोर्टें आदि भी हैं;

(छ) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी, उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय, जो भी लागू हो, के समक्ष सभी फाइलिंग और उनके आदेश;

(ज) बोर्ड और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों के समक्ष कानूनी फाइलिंग;

(झ) स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के दौरान पत्र-व्यवहार;

(ञ) स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया की लागत;

(ट) समस्त रिपोर्टें, रजिस्टर, दस्तावेज़, जैसे प्रारंभिक रिपोर्ट, वार्षिक प्रास्थिति रिपोक्ट, विघटन से पूर्व अंतिम रिपोर्ट, मूल विनियमों के विनियम 98 और 10 में उल्लिखित विभिन्न रजिस्टर और बहियां, आदि;

(ठ) ऐसा कोई अन्य अभिलेख, जिससे प्रक्रिया का संपूर्ण वर्णन दिया जाना अपेक्षित है ।

(3) परिसमापक, बोर्ड, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी या किसी न्यायालय के समक्ष, जो भी पश्चात्वर्ती हो, कारपोरेट व्यक्ति के विघटन की तारीख से-

(क) कम से कम आठ वर्षों के, समस्त अभिलेखों की इलैक्ट्रानिक प्रति (भौतिक और इलैक्ट्रानिक); और

(ख) कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए, अभिलेखों की एक भौतिक प्रति, परिरक्षित रखेगा ।

(4) प्रक्रिया के दौरान परिसमापक के बदले जाने की दशा में, छोड़ने वाला परिसमापक, उप-विनियम (1) और (2) के अधीन अभिलेख नए परिसमापक को सौंपेगा ।

(5) परिसमापक अभिलेखों को किसी सुरक्षित स्थान पर परिरक्षित रखेगा और वह अभिलेखों को, जैसा कि संहिता और मूल विनियमों के अधीन अपेक्षित हो, प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध होगा ।

(6) परिसमापक, धारा 59 की उपधारा (7) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष फाइल किए गए आवेदन के साथ उप-विनियम (1) और (2) के अधीन अभिलेखों के परिरक्षण के ब्यौरे और उसकी रीति उपलब्ध कराएगा ।

स्पष्टीकरण – इस विनियम के अधीन निर्दिष्ट अभिलेख के अंतर्गत किसी समापन प्रक्रिया की ऐसे अवधि से संबंधित अभिलेख भी है, जिसके दौरान परिसमापक ने इस तथ्य के होते हुए भी कि उसने उसके प्रारंभ से असाइनमेंट ग्रहण नहीं की थी या उसके पूरा होने तक असाइनमेंट जारी नहीं रखी थी, इस रूप में कार्य किया था ।"

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./277/2022-23]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 130, तारीख 31 मार्च, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.010, तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 182, तारीख 5 अप्रैल, 2022 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी. एन./आर.ई.जी.081, तारीख 5 अप्रैल, 2022 प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया)(संशोधन) विनियम, 2022 द्वारा किया गया था ।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2022

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2022

No. IBBI/2022-23/GN/REG095.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017, namely: -

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 3, after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(5) The declaration under sub-regulation (1)(a) or under section 59(3)(a) shall provide that the corporate person has made provision for preservation of its records after its dissolution."

3. In the principal regulations, for regulation 41, the following regulation shall be substituted, namely:-

"41. Preservation of records.

(1) The liquidator shall preserve copies of all such records which are required to give a complete account of the voluntary liquidation process.

(2) Without prejudice to the generality of the obligations under sub-regulation (1), the liquidator shall preserve copies of records relating to or forming the basis of:-

(a) his appointment as liquidator, including the terms of appointment;

(b) handing over / taking over of the assignment;

(c) initiation of voluntary liquidation process;

(d) public announcement;

(e) claims, verification of claims, and list of stakeholders;

(f) engagement of professionals, registered valuers, etc. including work done, reports etc., submitted by them;

(g) all filings with the Adjudicating Authority, Appellate Authority, High Courts, Supreme Court, whichever applicable and their orders;

(h) statutory filings with Board and insolvency professional agencies;

(i) correspondence during the voluntary liquidation process;

(j) cost of voluntary liquidation process;

(k) all reports, registers, documents such as preliminary report, annual status report, final report prior to dissolution, various registers and books, etc. mentioned in Regulation 8 and 10 of principal regulations; and

(l) any other records, which is required to give a complete account of the process.

(3) The liquidator shall preserve:

(a) electronic copy of all records (physical and electronic) for a minimum period of eight years; and

(b) a physical copy of records for a minimum period of three years;

from the date of dissolution of the corporate person, before the Board, the Adjudicating Authority, Appellate Authority or any Court, whichever is later.

(4) In case of replacement of liquidator during the process, the outgoing liquidator shall handover the records under sub-regulation (1) and (2) to the new liquidator.

(5) The liquidator shall preserve the records at a secure place and shall be obliged to produce records as may be required under the Code and the principal regulations.

(6) The liquidator shall, along with the application filed under sub-section (7) of section 59 to the Adjudicating Authority, provide the details and manner of preservation of records under sub-regulation (1) and (2).

***Explanation* -** The records referred to in this regulation includes records pertaining to the period of a liquidation process during which the liquidator acted as such, irrespective of the fact that he did not take up the assignment from its commencement or continue the assignment till its conclusion."

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./277/2022-23]

Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG010 on 31st March, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 130 dated 31st March, 2017 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2022 published vide notification No. IBBI/2022-23/GN/REG.081 dated 05th April 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 182 on 05th April, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.09.16 22:44:29 +05'30'